U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh & *yfyr dekj xIrk] vkb-,-,l-*

x.Mk fu;=.k vihy l[;k 03@2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
परस जैन पुत्र श्री मुलचंद जाति जैन, उम्र 38 वर्ष, निवासी डोडीदारों का मोहल्ला, सिटी पुलिस पुलिस थाना सदर कोतवाली, जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये पुलिस उपायुक्त, जोधपुर (पश्चिम)

x.Mk fu;=.k vihy vUrxZr /kkjk 06 x.Mk fu;=.k vf/kfu;e 1975 fo:) vkn'k U;k;ky; mik;Dr tks/kiqj Jh lehj dekj flg vkb-ih-,l if'pe vUrxZr Qkstnkjh idj.k l[;k 7@2017 fnukd 22-5-2018 vUrxZr /kkjk 3 jkstLFkku x.Mk fu;=.k vf/kfu;e 1975

mifLFkfr%&

1- श्री राजेश व्यास, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2- श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

vkn'k

दिनांकः— 6.11.2018

प्रस्तुत गुण्डा नियत्रंण अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध एक इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पुलिस कमिशनरेट के पुलिस थाना सदर बाजार व उदयमंन्दिर मे राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर. पी.जी.ओ) के तहत वर्ष 2009 से 2011 के दरम्यान कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके है। इन सभी प्रकरणों मे माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है। न्यायालय पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम द्वारा अपीलार्थी को दोष सिद्ध मानते हुए जोधपुर कमिशनरेट की सीमाओं से 15 दिन के लिये निष्कासित कर उसे पुलिस अधीक्षक, जालोर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश से व्यथित हो कर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेशी की है। अपीलान्ट को अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक 3.10. 2017 के द्वारा राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (5)(8) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्ट को 3 माह की

अवधि के लिये बाडमेर जिला की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस अधीक्षक, जालोर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट के द्वारा गुण्डा नियत्रंण अधिनियम के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन कि अपीलान्ट पर पुलिस विभाग के द्वारा यह आरोप आरोपित किया है राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर.पी.जी.ओ) के तहत वर्ष 2009 से 2011 के दरम्यान कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके है। सभी प्रकरणों मे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर रिहा किया गया। इसके बावजूद पुलिस विभाग द्वारा अपीलान्ट पर सिद्ध दोष मानते हुए अपीलान्ट को आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति मानते हुए, जो समाज के विरूद्ध है और जिससे लोक शान्ति भंग होती है, अतः उसके विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा अपीलान्ट को गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्ट को 3 माह के लिए जिला बाडमेर की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस थाना जालोर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये जबकि अपीलान्ट को धारा 3 के तहत नोटिस जारी होने से 7 वर्ष पूर्व तक कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के आधार पर मान्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि धारा 3 के तहत जारी नोटिस दिनांक के छः माह पूर्व तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गुण्डा घोषित किया जा सके। इस प्रकार बिना किसी विधिक आधारों के पारित आदेश गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट वर्तमान समय में मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अपीलान्ट ने समाज की मुख्य धारा मे जीवन जीना प्रारम्भ कर दिया है। अपीलान्ट के अच्छे प्रयास को देखते हुए अपीलान्ट के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

राज्य पक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने लिखित प्रत्युतर पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न समय मे राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर.पी.जी.ओ) के तहत जो प्रकरण तत्समय में दर्ज हुए तथा उन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने पर परिवीक्षा अधिनियम के तहत छोडा गया है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपों से सिद्ध है कि अपीलान्ट

एक आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर.पी.जी. ओ)के तहत अपराध किये है, अतः अपीलान्ट के समाज विरोधी कृत्यों को देखते हुए उसके विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के बिन्दू संख्या 5 का उल्लंघन किया जाना माना है। जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण अपीलान्ट के द्वारा 7 वर्ष से पूर्व कारित किये गये है। **jktLFkku x|.Mk vf/kfu;e 1975& **x|.Mk** ifjHkk"kk& /kkjk 3 d rgr dk;Zokgh d rjUr iwoZ vihykFkhZ us /kkjk 2¼[k½ d rgr N% eg d Hkhrj dkbZ vijk/k ugh fd;kA iekf.kd frfFk og gkrh g tc /kkjk 3 d rgr ukfVI tkjh fd;k tkrk gSA ,sl ekeyk e dh x;h dk;Zokgh i.k:i.k vf/kdkfjrk foghu g vkj fof/k dh nf"V e 'kU; gSA**

वर्तमान प्रकरण मे कोई भी आपराधिक प्रकरण धारा 3 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व छः माह की अवधि के भीतर नही आते है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्ट के वर्तमान चरित्र एवं गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 मे दिये गये प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, जिसका अभाव अपीलाधीन आदेश मे पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रे के प्रकरण संख्या 3/2016अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2017 निरस्त कर प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन (Observation) के अनुसार कार्यवाही कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान पुनः आदेश विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼yfyr dqekj xqIrk½
fMohtuy dfe'kuj]
tks/kiqj